भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-136
जिसका उत्तर 15 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

परभणी जिले में पीएम-सौभाग्य योजना की स्थिति

***136. डॉ. फौजिया खान:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना" (पीएम-सौभाग्य) के अंतर्गत महाराष्ट्र के परभणी जिले में आरंभ किए गए कार्य का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रधानमंत्री-सौभाग्य योजना के अंतर्गत परभणी जिले में कितनी ग्राम सभाओं की पहचान की गई है तथा कितने स्थानों पर कार्य पूरा कर लिया गया है और कितने स्थानों पर अभी कार्य पूरा किया जाना बाकी है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी निधि संस्वीकृत, जारी अथवा/और खर्च की गई है और परभणी जिले में किन-किन अभिकरणों को उक्त कार्य ग्राम-वार और कार्य-वार प्रदान किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>**विवरण**</u>

"परभणी जिले में पीएम-सौभाग्य योजना की स्थिति" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 15.03.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 136 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : भारत सरकार ने महाराष्ट्र के जिला परभणी (जिसे प्रभावती नगर के नाम से भी जाना जाता है) सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य शुरु की थी। महाराष्ट्र राज्य ने दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार परभणी जिले सहित राज्य में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों के 100% विद्युतीकरण की सूचना दी है। महाराष्ट्र की राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परभणी जिले में सौभाग्य स्कीम के अंतर्ग किए गए कार्यों का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख) : राज्य ने सूचना दी है कि परभणी जिले में कुल 466 ग्राम सभाएं अभिचिन्हित की गई हैं। परभणी जिले में स्कीम के तहत सभी कार्य पूरे हो गए हैं। जारी किए गए कनेक्शनों का गांव-वार और शहर-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) : सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत, संबंधित राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए गैर-विद्युतीकृत घरों के आंकड़ों के आधार पर राज्यों को परियोजनाएं संस्वीकृत की जाती हैं; और इस प्रकार भारत सरकार द्वारा कोई भी राशि जिला-वार संस्वीकृत/निर्मुक्ति नहीं की जाती है। सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य के लिए 405.90 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई थी और परभणी जिले सहित राज्य में अतिरिक्त अवसंरचना के लिए डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 368.9 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए थे। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संवितरित राशि निम्नानुसार है:

करोड़ रुपये में

स्कीम	संस्वीकृत राशि	परियोजना लागत (समापन रिपोर्ट के अनुसार)	वर्ष 2018-19 से 2021-22 (दिनांक 31.01.2022 तक) के दौरान निर्मुक्त अनुदान					उपयोग
			2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल	
सौभाग्य	405.90	363.30	139.60	43.40	-	19.10	202.00	100%
अतिरिक्त अवसंरचना	368.9	313.00	165.47	-	-	21.34	186.82	100%
कुल	**774.8**	**676.30**	**305.07**	**43.40**	**-**	**40.44**	**388.82**	**100%**

परभणी जिले में सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्यों का कार्यान्वयन महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) द्वारा किया गया है और राज्य ने 4.45 करोड़ रुपये के व्यय की सूचना दी है। जिन एजेंसियों ने परभणी जिले में उक्त कार्य किया है, उनके नाम **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

****

<u>**अनुबंध-I**</u>

"परभणी जिले में पीएम-सौभाग्य योजना की स्थिति" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 15.03.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 136 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

****

महाराष्ट्र के परभणी जिले में सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. गांवों संख्या - 466
   ग्रामीण ग्रिड घर :
   बीपीएल- 429
   बीपीएल के अलावा - 7577
   कुल - 8006
2. शहरी ग्रिड घर
   शहरों की संख्या - 7
   बीपीएल- 92
   बीपीएल के अलावा - 286
   कुल- 378

3. अवंसरचना
   डीटीसी - सं. 46
   11 केवी लाइन - 11.76 किमी
   एलटी लाइन - 36.82 किमी

****

अनुबंध-II

"परभणी जिले में पीएम-सौभाग्य योजना की स्थिति" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 15.03.2022 उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 136 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

****

सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत परभणी में कनेक्शन

क्रम सं.	सर्किल	जनगणना कोड	गांव	बीपीएल	बीपीएल के अलावा	कुल
1	परभणी	545763	चंगेफाल	0	12	12
2	परभणी	546018	औंधा नागनाथ	8	19	27
3	परभणी	546420	बोर्किनी	0	8	8
4	परभणी	546429	गिरगांव केएच	0	2	2
5	परभणी	546430	गिरगांव बीके	0	6	6
6	परभणी	546431	देवगांव (नंदगांव)	0	1	1
7	परभणी	546432	कुंभारी (परगने चरथाना)	0	6	6
8	परभणी	546435	रायपुर	0	5	5
9	परभणी	546436	निर्वाडी बीके	0	3	3
10	परभणी	546438	बोथ	1	0	1
11	परभणी	546440	चिखलथाना केएच	0	3	3
12	परभणी	546441	ज्वाला जीवाजिक	0	18	18
13	परभणी	546443	सोनवती	0	1	1
14	परभणी	546445	मोरेगांव	0	16	16
15	परभणी	546449	पिंपरी बके	0	1	1
16	परभणी	546451	सालेगांव	0	5	5
17	परभणी	546452	खेरदा दुधाना किनारा	0	5	5
18	परभणी	546453	हतनूर	0	5	5
19	परभणी	546455	पिंपलगांव (गोसाई)	0	15	15
20	परभणी	546456	रावहा	0	1	1
21	परभणी	546460	वालौर	1	46	47
22	परभणी	546462	राजुरा	15	16	31
23	परभणी	546464	कन्हड़	0	2	2
24	परभणी	546465	हट्टा	0	6	6
25	परभणी	546466	तंदुलवाड़ी	0	1	1
26	परभणी	546468	कुप्टा	0	13	13
27	परभणी	546471	अम्बेगांव डिगेर	0	1	1
28	परभणी	546472	सोन्ना	0	5	5
29	परभणी	546473	शेलवाड़ी	0	1	1
30	परभणी	546474	गवाह	0	1	1
31	परभणी	546477	करजखेड़ा	0	3	3
32	परभणी	546479	सिराला	0	3	3
33	परभणी	546481	वाकी	0	1	1
34	परभणी	546482	हडगाँव केएच	1	26	27
35	परभणी	546483	रावलगांव	22	33	55
36	परभणी	546484	म्हालसापुर	0	2	2
37	परभणी	546485	कुंडी	0	3	3
38	परभणी	546486	देवलगांव गेट	0	22	22
39	परभणी	546487	गोहेगांव	0	1	1
40	परभणी	546488	अहेर बोरगांव	0	18	18
41	परभणी	546490	शिंदे तक्ली	0	4	4
42	परभणी	546491	नर तक्ली	0	2	2
43	परभणी	546492	दसला	0	25	25
44	परभणी	546493	लदनंद्र	0	46	46
45	परभणी	546495	राधे धामनगांव	0	1	1
46	परभणी	546498	टिडी पिंपलगांव	0	1	1
47	परभणी	546499	डिग्रास बीके	0	10	10
48	परभणी	546501	काजली रोहिना	0	9	9
49	परभणी	546502	राजा	0	2	2
50	परभणी	546504	ब्राह्मणगांव पी.एफ.	0	21	21
51	परभणी	546505	दुगरा	0	1	1
52	परभणी	546506	कराडगांव	0	16	16
53	परभणी	546507	कवधान	0	4	4
54	परभणी	546508	निपानी तकली	0	29	29

55	परभणी	546512	जोडगाँव	0	1	1
56	परभणी	546514	धमधम	0	1	1
57	परभणी	546515	वज़ार बीके	0	8	8
58	परभणी	546517	बेलखेड़ा	0	1	1
59	परभणी	546520	असोला	0	0	0
60	परभणी	546521	कवाद	6	38	44
61	परभणी	546524	वादी	0	4	4
62	परभणी	546525	वाघी (धनोरा)	0	28	28
63	परभणी	546529	कोरवाडी	1	2	3
64	परभणी	546532	कोलापास	1	1	2
65	परभणी	546533	बामनी बीके	1	0	1
66	परभणी	546538	कवथा	0	1	1
67	परभणी	546547	पिंपलगांव काजले	2	28	30
68	परभणी	546549	अंगलगांव टांडा	0	1	1
69	परभणी	546551	मोहदी	0	1	1
70	परभणी	546552	जम्भरुण	0	1	1
71	परभणी	546555	सावरगांव	0	8	8
72	परभणी	546557	भोसी	0	13	13
73	परभणी	546560	वडाली	0	23	23
74	परभणी	546562	जोगवाड़ा	0	5	5
75	परभणी	546563	सोस्टैंडा	0	65	65
76	परभणी	546564	सोस	0	1	1
77	परभणी	546565	चरथाना	0	12	12
78	परभणी	546572	हलवीरा [हरली]	0	1	1
79	परभणी	546574	भांबरी	0	5	5
80	परभणी	546575	राजेगांव	0	10	10
81	परभणी	546580	सैखेड़ा (जिंटूर सर्कल)	0	1	1
82	परभणी	546581	जाम्ब बीके	0	5	5
83	परभणी	546584	मुरुमखेड़ा	0	4	4
84	परभणी	546585	सवांगी [म्हलासा]	7	17	24
85	परभणी	546588	घडोली	1	1	2
86	परभणी	546589	नीलाज	0	6	6
87	परभणी	546590	सावली बके	4	43	47
88	परभणी	546591	गणेशनगर	7	20	27
89	परभणी	546594	मनकेश्वर [पी.जिंटूर]	0	50	50
90	परभणी	546598	घेवांडा	0	1	1
91	परभणी	546599	पुंगाला	3	30	33
92	परभणी	546600	भिलाज	0	22	22
93	परभणी	546602	पंगरी	0	5	5
94	परभणी	546603	मथाला	0	2	2
95	परभणी	546604	बालासा	0	1	1
96	परभणी	546605	अकोली	0	1	1
97	परभणी	546610	पचलेगांव	0	21	21
98	परभणी	546615	खरादवी	0	13	13
99	परभणी	546616	डोंगर्टला	0	10	10
100	परभणी	546618	इटोली	1	25	26
101	परभणी	546620	डिग्रास	2	1	3
102	परभणी	546621	दभा	0	12	12
103	परभणी	546622	गदडगवाहन	5	2	7
104	परभणी	546634	भोगांव	11	1	12
105	परभणी	546635	मंधानी	1	13	14
106	परभणी	546646	देवगांव (धनोरा)	0	7	7
107	परभणी	546657	येसेगाँव	0	11	11
108	परभणी	546661	बोरी	1	3	4
109	परभणी	546662	मुडा	0	21	21
110	परभणी	546663	दोहारा	0	14	14
111	परभणी	546665	कोक	0	15	15
112	परभणी	546669	कौसादी	0	10	10
113	परभणी	546671	पिंपलगांव [गयाके]	0	0	0
114	परभणी	546676	जवला केएच.	0	5	5
115	परभणी	546677	वाघी [बोबडे]	0	1	1
116	परभणी	546685	कश्तगांव	0	1	1
117	परभणी	546687	कुंभारी	0	1	1

118	परभणी	546690	गोविंदपुर	0	3	3
119	परभणी	546694	अरवी	0	9	9
120	परभणी	546697	पेडगांव	0	40	40
121	परभणी	546698	ब्रम्हापुरी टैरिफ पेडगांव	0	2	2
122	परभणी	546699	किन्होला	0	33	33
123	परभणी	546701	मंडाखली	0	10	10
124	परभणी	546706	हसनपुर	0	37	37
125	परभणी	546707	तुलजापुर	0	23	23
126	परभणी	546708	मंडवा	0	14	14
127	परभणी	546709	जरी	0	26	26
128	परभणी	546710	मिर्जापुर	0	8	8
129	परभणी	546711	सादेगांव	0	10	10
130	परभणी	546712	पिंगली कोथला	0	5	5
131	परभणी	546713	जोडपर्ली	0	1	1
132	परभणी	546714	तकली बोबडे	0	13	13
133	परभणी	546716	वादी दमाई	0	15	15
134	परभणी	546717	पिंपला	0	7	7
135	परभणी	546718	जलालपुर	0	5	5
136	परभणी	546723	सनपुरी	0	0	0
137	परभणी	546724	हिंगलां	0	1	1
138	परभणी	546727	कराडगांव	0	3	3
139	परभणी	546731	माताकारला	0	42	42
140	परभणी	546732	समबर	0	83	83
141	परभणी	546735	दुर्दी	0	21	21
142	परभणी	546736	मुरुम्बा	0	40	40
143	परभणी	546738	साबा	0	5	5
144	परभणी	546739	नंदगांव बीके	0	0	0
145	परभणी	546744	उखालड	0	137	137
146	परभणी	546745	पिंपरी देशमुख	0	6	6
147	परभणी	546746	बभली	0	13	13
148	परभणी	546747	टट्टू जवाला	0	13	13
149	परभणी	546748	मिरखेली	0	0	0
150	परभणी	546749	पिंगली	0	26	26
151	परभणी	546751	तदलिम्बला	0	44	44
152	परभणी	546755	पथरा	0	15	15
153	परभणी	546756	तकली कुंभकर्ण	0	64	64
154	परभणी	546757	नंदखेड़ा	0	2	2
155	परभणी	546760	करेगॉंव	0	0	0
156	परभणी	546761	धर्मपुरी	0	9	9
157	परभणी	546762	परवा	0	14	14
158	परभणी	546763	जम्ब	1	25	26
159	परभणी	546764	कौडगांव टर्फ सिंगनापुर	0	17	17
160	परभणी	546767	रायपुर	15	698	713
161	परभणी	546770	बाभुलगांव	0	1	1
162	परभणी	546771	सोन्ना	0	57	57
163	परभणी	546772	उजालम्बा	0	4	4
164	परभणी	546773	नरसापुर टर्फ परभणी	0	7	7
165	परभणी	546776	ईथलापुर देशमुख	0	1	1
166	परभणी	546777	सयाला	0	1	1
167	परभणी	546781	लोहागांव	0	16	16
168	परभणी	546782	अमदापुर	0	2	2
169	परभणी	546783	सिंगनापुर	0	25	25
170	परभणी	546784	बोरवंड केएच.	0	1	1
171	परभणी	546786	उमरी	0	10	10
172	परभणी	546787	आनंदवादी	1	5	6
173	परभणी	546788	तमस्वादी	1	1	2
174	परभणी	546790	बोरवंड बीके	0	1	1
175	परभणी	546791	तड़पंगारी	0	18	18
176	परभणी	546792	पेगर्गवाहन	0	1	1
177	परभणी	546793	भारस्वडी	9	13	22
178	परभणी	546794	वडगांव टर्फ भारस्वड़ी	0	21	21
179	परभणी	546796	पोखरनी	1	53	54
180	परभणी	546797	अम्बे तक्ली	0	40	40

181	परभणी	546801	सिरसी बीके.	0	6	6
182	परभणी	546802	थोला	0	2	2
183	परभणी	546803	दमपुरी	0	6	6
184	परभणी	546804	पोरवाड	0	12	12
185	परभणी	546806	इंदेवादी	2	11	13
186	परभणी	546807	ब्रम्हापुरी टर्फ पथरी	5	2	7
187	परभणी	546808	सलापुरी	3	4	7
188	परभणी	546809	दैथाना	1	51	52
189	परभणी	546810	धोंडी	2	2	4
190	परभणी	546811	माल्सोना	4	30	34
191	परभणी	546813	अंगलगांव	0	7	7
192	परभणी	546814	गोगलगाँव	0	15	15
193	परभणी	546815	सवांगी मगर	0	46	46
194	परभणी	546817	तकली नीलवर्ने	0	1	1
195	परभणी	546819	शेवाड़ी जहांगीर	0	2	2
196	परभणी	546820	राजुरा	0	1	1
197	परभणी	546821	कोथाला	0	25	25
198	परभणी	546823	इरलाड	0	42	42
199	परभणी	546824	मनवत रोड	0	7	7
200	परभणी	546825	कोल्हा	0	27	27
201	परभणी	546827	सोमथाना	0	1	1
202	परभणी	546828	मनोली	0	4	4
203	परभणी	546829	करनजी	0	3	3
204	परभणी	546830	खरबा	0	7	7
205	परभणी	546832	रूधि	0	13	13
206	परभणी	546833	कोल्हावाड़ी	0	1	1
207	परभणी	546834	टाड बोरगांव	0	8	8
208	परभणी	546835	देउलगांव आवाचार	0	10	10
209	परभणी	546836	अम्बेगांव चाहरुणु	0	18	18
210	परभणी	546837	हत्तलवाड़ी	0	2	2
211	परभणी	546838	रत्नापुर	0	2	2
212	परभणी	546839	उक्कलगांव	0	8	8
213	परभणी	546840	इटाली	0	7	7
214	परभणी	546842	बोंदरवाड़ी	0	0	0
215	परभणी	546843	सावली	0	11	11
216	परभणी	546844	सवारगांव केएच	0	5	5
217	परभणी	546845	पलोडी	0	5	5
218	परभणी	546846	सोनुला	0	2	2
219	परभणी	546847	पिंपला	0	10	10
220	परभणी	546849	केकर ज्वाला	0	45	45
221	परभणी	546850	किनहोला बीके	0	25	25
222	परभणी	546852	पोहंडुल	0	9	9
223	परभणी	546853	लोहार	0	31	31
224	परभणी	546855	भोसा	0	26	26
225	परभणी	546856	मंगरुल बीके	0	49	49
226	परभणी	546857	रमे तक्लीक	0	7	7
227	परभणी	546858	वज़ूर बीके	0	12	12
228	परभणी	546859	वज़ूर केएच	0	23	23
229	परभणी	546860	कुंभारी (गंगा किनारा)	0	13	13
230	परभणी	546861	वांगी	0	3	3
231	परभणी	546862	थार	0	10	10
232	परभणी	546863	हमदापुर	0	7	7
233	परभणी	546865	सखारेवाड़ी	0	6	6
234	परभणी	546866	रामपुरी बीके	0	15	15
235	परभणी	546867	हटकरवाड़ी	0	15	15
236	परभणी	546868	डोंगरगांव	0	1	1
237	परभणी	546870	रेनाखली	0	8	8
238	परभणी	546871	देवेगांव	14	3	17
239	परभणी	546872	सिमुरगावण	2	22	24
240	परभणी	546873	जरी	0	25	25
241	परभणी	546874	बोर्गवाहन	5	9	14
242	परभणी	546875	खेदुला	0	14	14
243	परभणी	546876	सरोला केएच	0	12	12

244	परभणी	546877	वडी	0	4	4
245	परभणी	546878	हडगांव बीके	0	40	40
246	परभणी	546879	वारखेड़ा	0	50	50
247	परभणी	546880	पथरगवन केएच	0	40	40
248	परभणी	546881	कसापुरी	1	65	66
249	परभणी	546882	ज्वाला ज़ूटे	0	11	11
250	परभणी	546883	नाथरा	0	20	20
251	परभणी	546884	मंजरथ	0	39	39
252	परभणी	546885	बनेगांव	0	36	36
253	परभणी	546886	मर्दसगांव	0	15	15
254	परभणी	546887	पथरगवन बीके	1	49	50
255	परभणी	546888	गोपेगांव	0	2	2
256	परभणी	546889	पटोड़ा गंगा किनारा	0	1	1
257	परभणी	546890	निवाली	0	2	2
258	परभणी	546891	रामपुरी केएच	12	8	20
259	परभणी	546893	बंडार वड़ा	0	73	73
260	परभणी	546894	देवनंद्र	1	1	2
261	परभणी	546895	पोहे तक्ली	0	1	1
262	परभणी	546896	रेनापुर	31	31	62
263	परभणी	546900	ढालेगांव	23	10	33
264	परभणी	546903	गुंज केएच	9	7	16
265	परभणी	546905	तकलगवाहन	3	1	4
266	परभणी	546911	अंधपुरी	1	0	1
267	परभणी	546915	डाकु पिंपरी	9	5	14
268	परभणी	546917	लिंबा	0	1	1
269	परभणी	546918	फुलरवाड़ी	12	11	23
270	परभणी	546921	मुदगल	1	0	1
271	परभणी	546922	वीटा बीके	0	24	24
272	परभणी	546924	वानीसंगम	0	14	14
273	परभणी	546926	वीटा केएच.	0	21	21
274	परभणी	546927	वाघलगांव (जे)	0	20	20
275	परभणी	546928	लसीना	1	13	14
276	परभणी	546929	थडिउक्कड़गांव	0	0	0
277	परभणी	546930	वाड़ी पिंपलगांव	1	5	6
278	परभणी	546931	थड़ी पिंपलगांव	0	7	7
279	परभणी	546934	लोहिग्राम	0	2	2
280	परभणी	546936	सिरसी बीके.	0	7	7
281	परभणी	546939	शेलगांव हटकरी	0	31	31
282	परभणी	546941	शेलगांव मराठा	1	20	21
283	परभणी	546942	गॉली पिंपरी	0	5	5
284	परभणी	546943	खापत पिंपरी	0	11	11
285	परभणी	546945	दिघोल इस्लामपुर	0	27	27
286	परभणी	546948	कान्हेगांव	0	12	12
287	परभणी	546951	सैखेड़ा	0	51	51
288	परभणी	546958	चुकार पिंपरी	1	13	14
289	परभणी	546961	मोहाला	0	5	5
290	परभणी	546962	पोहंडुल	0	12	12
291	परभणी	546964	तिवथाना	2	23	25
292	परभणी	546967	नायकोटा	0	2	2
293	परभणी	546968	बोंदरगांव	0	17	17
294	परभणी	546969	धमोनी	0	27	27
295	परभणी	546975	करम	0	6	6
296	परभणी	546976	उक्कडगांव मकटा	0	35	35
297	परभणी	546977	उखली बीके.	1	39	40
298	परभणी	546979	बुकरवादी	0	8	8
299	परभणी	546981	धरासूर	0	41	41
300	परभणी	546982	रुम्ना ज्वाला	0	14	14
301	परभणी	546984	सयाला सुनेगांव	0	24	24
302	परभणी	546985	सुनेगांव सयाला	0	2	2
303	परभणी	546986	खली	0	20	20
304	परभणी	546988	मैरल सवांगी	0	20	20
305	परभणी	546989	गौंडगाँव	0	10	10
306	परभणी	546990	चिंचटक्लि	0	2	2

307	परभणी	546991	दुसलगांव	0	14	14
308	परभणी	546992	मूली	0	3	3
309	परभणी	546994	मासला	0	2	2
310	परभणी	546996	पिंपरी ज़ोला	0	73	73
311	परभणी	546998	धारखेड़	0	16	16
312	परभणी	547000	महतपुरी	0	95	95
313	परभणी	547001	आनंदवादी	0	36	36
314	परभणी	547002	शंकरवादी	0	6	6
315	परभणी	547004	इरालाड	0	0	0
316	परभणी	547005	नारलाड	0	1	1
317	परभणी	547006	गोपा	0	7	7
318	परभणी	547007	वाघलगांव गोपा	0	34	34
319	परभणी	547008	मालेवाड़ी	0	18	18
320	परभणी	547011	कौडगांव	0	1	1
321	परभणी	547012	बनपिम्पला	0	1	1
322	परभणी	547014	शिवाजी नगर	0	0	0
323	परभणी	547015	सुरलवाड़ी	0	8	8
324	परभणी	547016	पडेगांव	0	10	10
325	परभणी	547018	शेन्दगा	0	50	50
326	परभणी	547019	हरंगुली	0	18	18
327	परभणी	547020	खडगांव	0	30	30
328	परभणी	547021	मार्गलवाड़ी	0	1	1
329	परभणी	547025	भेंदेवडी	0	4	4
330	परभणी	547026	अकोली	0	14	14
331	परभणी	547027	पोखरनी वाक्या	0	41	41
332	परभणी	547028	धनगर मोह	0	32	32
333	परभणी	547029	उखली केएच.	0	5	5
334	परभणी	547030	मांकदेवी	0	40	40
335	परभणी	547032	डोंगरगांव शेलगांव	0	31	31
336	परभणी	547033	मखनी	0	41	41
337	परभणी	547034	सिरसम शेगांव	0	33	33
338	परभणी	547036	डोंगरपिंपला	0	17	17
339	परभणी	547037	कोडरी	0	18	18
340	परभणी	547038	आनंद नगर	0	1	1
341	परभणी	547041	अंतरवेली	0	18	18
342	परभणी	547042	काटकरवाड़ी	0	7	7
343	परभणी	547043	तंदुलवाड़ी	0	23	23
344	परभणी	547044	शेलमोहा	0	33	33
345	परभणी	547045	कद्याचिवाड़ी	0	15	15
346	परभणी	547046	सांगलेवाड़ी	0	4	4
347	परभणी	547048	इसाड	0	11	11
348	परभणी	547051	अर्बुजवाड़ी	0	4	4
349	परभणी	547052	खंडाली	0	5	5
350	परभणी	547053	इलेगांव	0	23	23
351	परभणी	547054	मसानेरवाड़ी	0	7	7
352	परभणी	547057	बोथि	0	3	3
353	परभणी	547058	गुंजेगांव	0	15	15
354	परभणी	547061	पंढरगाँव	0	2	2
355	परभणी	547062	वागडारा	0	20	20
356	परभणी	547063	खोकलेवाड़ी	0	9	9
357	परभणी	547064	सुपा (खालसा)	0	5	5
358	परभणी	547065	सुप्पा टांडा	0	0	0
359	परभणी	547067	सुपा (जागीर)	0	2	2
360	परभणी	547069	घटंगरा टांडा	0	0	0
361	परभणी	547070	घंटाग्रा	0	33	33
362	परभणी	547071	रानीसावरगांव	0	14	14
363	परभणी	547073	पंगरी	0	6	6
364	परभणी	547075	अम्बरवादी	0	0	0
365	परभणी	547078	दमपुरी	0	20	20
366	परभणी	547079	कुंडगीरवाड़ी	0	1	1
367	परभणी	547080	नीलानाइक टांडा	0	0	0
368	परभणी	547081	बोर्डा	0	39	39
369	परभणी	547083	पिंपलदारी	0	34	34

370	परभणी	547084	वाग्दारि	0	9	9
371	परभणी	547088	रावराजुरी	0	1	1
372	परभणी	547094	फला	3	15	18
373	परभणी	547095	फरकंडा	2	2	4
374	परभणी	547097	बरबादी	0	38	38
375	परभणी	547099	पिंपलगांव {एम}	2	12	14
376	परभणी	547101	राहती	0	2	2
377	परभणी	547103	गंज	1	47	48
378	परभणी	547104	परवा	0	1	1
379	परभणी	547105	खरब धनोरा	1	32	33
380	परभणी	547106	शेख राजुरा	0	0	0
381	परभणी	547108	वाडी (केएच)	0	2	2
382	परभणी	547109	गुलखंडी	2	1	3
383	परभणी	547112	सिरपुर	0	1	1
384	परभणी	547113	सयाला (पालम)	2	13	15
385	परभणी	547116	आजमाबाद	13	6	19
386	परभणी	547118	पुयानी	1	0	1
387	परभणी	547119	पालम	8	37	45
388	परभणी	547120	अंजनवाडी	0	1	1
389	परभणी	547123	सेलु	0	2	2
390	परभणी	547125	पेंडु केएच.	10	24	34
391	परभणी	547126	पेंडु बीके.	4	68	72
392	परभणी	547129	पेठ पिंपलगांव	6	5	11
393	परभणी	547130	तेलजापुर	1	0	1
394	परभणी	547131	अडगाँव	0	2	2
395	परभणी	547133	नहालगाँव	0	16	16
396	परभणी	547134	वनभुजवाड़ी	4	4	8
397	परभणी	547135	आनंदवादी	2	9	11
398	परभणी	547136	चटोरी	2	17	19
399	परभणी	547137	नवहा	1	25	26
400	परभणी	547140	खोरास	0	2	2
401	परभणी	547141	तंबुलगाँव	1	16	17
402	परभणी	547142	सदलापुर	2	27	29
403	परभणी	547144	मुत्खेड़	0	16	16
404	परभणी	547145	उमरा	0	21	21
405	परभणी	547147	कोनेरवाड़ी	9	11	20
406	परभणी	547148	बोरगांव बीके.	8	30	38
407	परभणी	547150	उक्कडगांव जागीर	14	21	35
408	परभणी	547151	वारखेड़	0	2	2
409	परभणी	547153	चोरवाड	0	14	14
410	परभणी	547154	पोखर्णी देवी	2	9	11
411	परभणी	547157	सिरसम (पालम)	1	7	8
412	परभणी	547158	मोज़ामाबाद	0	1	1
413	परभणी	547159	बनवास	5	30	35
414	परभणी	547160	गिरधरवाड़ी	1	1	2
415	परभणी	547161	फतुनैक टांडा	0	5	5
416	परभणी	547163	रामापुर	17	1	18
417	परभणी	547165	तंदुलवाड़ी	16	70	86
418	परभणी	547166	महादेवदी	4	1	5
419	परभणी	547168	सदगीरवाड़ी	0	6	6
420	परभणी	547169	यरन्देश्वर	0	22	22
421	परभणी	547181	सुहागन	0	21	21
422	परभणी	547182	अवहाई	0	74	74
423	परभणी	547183	पिंपला लोखंडे	0	26	26
424	परभणी	547185	बरबादी	0	73	73
425	परभणी	547188	वाई टर्फ लसीना	0	0	0
426	परभणी	547189	लोन केएच.	0	28	28
427	परभणी	547194	सोनखेड़	0	10	10
428	परभणी	547199	चुडावा	0	17	17
429	परभणी	547201	कलमुला	0	8	8
430	परभणी	547202	पिंपरान	0	7	7
431	परभणी	547203	अलेगांव	0	1	1
432	परभणी	547204	चेंजफाल	0	1	1

433	परभणी	547207	कवलगांव	0	27	27
434	परभणी	547208	कौलगांववाड़ी	0	33	33
435	परभणी	547210	पेनुर	0	1	1
436	परभणी	547211	धनोरा मोत्य	0	42	42
437	परभणी	547213	सुकि	0	8	8
438	परभणी	547214	ममदापुर	0	8	8
439	परभणी	547216	कान्हेगांव	0	2	2
440	परभणी	547218	गणपुर	0	14	14
441	परभणी	547221	खुजादा	0	36	36
442	परभणी	547224	कणाद खेड़ा	0	93	93
443	परभणी	547225	अडगांव लसीना	0	10	10
444	परभणी	547227	अजदापुर	0	9	9
445	परभणी	547228	नीला	0	202	202
446	परभणी	547229	कंठेश्वर	0	13	13
447	परभणी	547231	पिंपलगांव सारंगी	0	16	16
448	परभणी	547233	धनगर तक्ली	0	4	4
449	परभणी	547234	पिंपलगांव लिखा	0	1	1
450	परभणी	547241	कमलापुर	0	11	11
451	परभणी	547242	दस्तापुर	0	15	15
452	परभणी	547244	लिमला	0	14	14
453	परभणी	547245	मंजलापुर	0	6	6
454	परभणी	547248	महागाँव	0	52	52
455	परभणी	547252	दगडवादी	0	1	1
456	परभणी	547254	वज़ूर	0	19	19
457	परभणी	547256	देउलगांव धुधाते	0	7	7
458	परभणी	548770	जोगवाड़ा	0	1	1
459	परभणी	559551	अडगाँव	0	9	9
460	परभणी	566088	दत्तवादी	0	0	0
461	परभणी	566844	अम्बेगाँव	0	0	0
462	परभणी	567028	मस्नोली	0	0	0
463	परभणी	568382	कानेगांव	0	0	0
464	परभणी	568724	सावली	0	0	0
465	परभणी	568775	केरेवाड़ी	0	0	0
466	परभणी	546743	धनगरवाड़ी	5	0	5
467	परभणी	802757	गंगाखेड़ (एम सीएल)	0	1	1
468	परभणी	802751	सैलू (एम सीएल)	9	115	124
469	परभणी	802752	जिंतूर (एम सीएल)	58	46	104
470	परभणी	802756	सोनपेठ (एम सीएल)	1	34	35
471	परभणी	802754	मानवथ (एम सीएल)	1	17	18
472	परभणी	802755	पथरी (एम सीएल)	23	45	68
473	परभणी	802758	पूर्णा (एम सीएल)	0	28	28
कुल				**521**	**7863**	**8384**

****

<u>**अनुबंध-III**</u>

"परभणी जिले में पीएम-सौभाग्य योजना की स्थिति" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 15.03.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 136 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

****

सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत एजेंसी

क्रम सं.	एजेंसी का नाम
1	वेदिका इलेक्ट्रिकल्स, औरंगाबाद
2	मर्देश्वर इलेक्ट्रिकल्स, परभणी
3	रचना इलेक्ट्रिकल्स, परभणी
4	महाराजा इलेक्ट्रिकल्स, परभणी
5	वी.बी. टेक इंफ्रा, परभणी
6	राधिका मल्टीसर्विसेज, परभणी
7	इंद्रायणीदेवी मल्टीसर्विसेज, परभणी
8	लोकराजा मल्टीसर्विसेज, परभणी
9	तुलसी इलेक्ट्रोइन्फ्रा, जिंतुरु
10	योगेश इलेक्ट्रिकल्स, परभणी
11	इमरिला कंस्ट्रक्शन, परभणीक
12	रत्नेश्वर इलेक्ट्रिकल्स, परभणी
13	बी जी देशमुख इलेक्ट्रिकल्स, परभणी

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-143

जिसका उत्तर 15 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

कोयले की खपत

***143. सुश्री सरोज पाण्डेय:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष कितने मीट्रिक टन कोयले की खपत होती है;

(ख) इस खपत के कितने प्रतिशत कोयले का देश में उत्पादन होता है और कितने प्रतिशत कोयले का आयात किया जाता है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में कोयले के उत्पादन को बढ़ाने और आयात पर इसकी निर्भरता को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"कोयले की खपत" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 15.03.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 143 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) और (ख) : विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष 2021-22 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान कुल खपत के प्रतिशत के रूप में देश में ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले की कुल खपत के साथ-साथ घरेलू कोयला और आयातित कोयले की खपत निम्नानुसार हैः

अवधि	घरेलू कोयला खपत (मी. टन)	आयातित कोयला खपत (मी. टन)	कुल खपत (मी. टन)	कुल खपत के प्रतिशत के रूप में घरेलू कोयले की खपत (%)	कुल खपत के प्रतिशत के रूप में आयातित कोयले की खपत (%)
2016-17	508.2	66.1	574.3	88.5%	11.5%
2017-18	551.1	56.9	608.0	90.6%	9.4%
2018-19	567.0	61.9	628.9	90.2%	9.8%
2019-20	553.5	68.7	622.2	89.0%	11.0%
2020-21	568.7	46.7	615.4	92.4%	7.6%
2021-22 (अप्रैल-जन.)	550.2	22.9	573.1	96.0%	4.0%

(एमटीः मिलियन टन)

(ग) : देश में कोयला उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) राजस्व साझा तंत्र पर कोयले की वाणिज्यिक नीलामीः राजस्व साझा तंत्र पर वाणिज्यिक खदानों की नीलामी दिनांक 18.06.2020 को शुरू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत, कुल दो ट्रांचों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इन दो ट्रांचों से कुल 28 कोयला खदानों को सफलतापूर्वक नीलाम किया जा चुका है जिनमें से 27 कोयला खदानों के लिए निहित आदेश पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

(ii) अतिरिक्त कोयला उत्पादन की बिक्री की अनुमति: कोयला मंत्रालय ने खदान के साथ संबद्ध अंतिम उपयोगकर्ता संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद, एक वित्तीय वर्ष में कुल कोयला अथवा लिग्नाइट उत्पादन का 50% तक कैप्टिव खदान के पट्टेदार द्वारा, अतिरिक्त राशि का भुगतान करने पर, कोयला अथवा लिग्नाइट की बिक्री की अनुमति देने के मद्देनजर, खनिज रियायत नियम, 1960 में संशोधन किया है। इस वर्ष की शुरुआत में, खदान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में इस आशय का संशोधन किया गया था। यह निजी और सार्वजनिक

क्षेत्र दोनों की कैप्टिव खदानों के लिए लागू है। इस संशोधन के साथ, सरकार ने कैप्टिव कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों, जिनका उनकी कैप्टिव जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले के सीमित उत्पादन के कारण केवल आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा था, की खनन क्षमताओं का अधिक उपयोग करके बाजार में अतिरिक्त कोयले को जारी करने का मार्ग प्रशस्त किया है।

(iii) रोलिंग नीलामी: नीलामी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और एक वर्ष में नीलामी के और अधिक दौर करने के लिए, कोयला खदानों की रोलिंग नीलामी तंत्र की योजना बनाई गई है। इस तंत्र के अंतर्गत, ट्रांच की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रक्रिया पूरी होने पर, नीलामी की अगली ट्रांच निम्नलिखित खदानों के लिए शुरू की जाएगी:

(क) वे खदानें जहां नीलामी की पिछली ट्रांच में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी अथवा केवल एकल बोली प्राप्त हुई थी (उन खदानों को छोड़कर जहां कोयला मंत्रालय नीलामी के दूसरे प्रयास किए जाने का फैसला करता है)

(ख) कोयला मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित नई खदानें, यदि कोई हों

(iv) सिंगल विंडो स्वीकृति: सरकार ने कोयला खदानों के संचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र के लिए दिनांक 11.01.2021 को सिंगल विंडो स्वीकृति पोर्टल पहले ही शुरू कर दिया है। यह एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है जो भारत में कोयला खदान को शुरू करने के लिए अपेक्षित स्वीकृतियां और अनुमोदन प्रदान करना सुगम बनाता है। अब, पूरी प्रक्रिया सिंगल विंडो स्वीकृति पोर्टल के माध्यम से सुगम बनाई जाएगी, जो न केवल संगत अनुप्रयोग प्रारूपों को चिन्हित करेगा, बल्कि अनुमोदन अथवा स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए प्रक्रिया प्रवाह भी करेगा।

(v) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने सीआईएल खदानों से एक बिलियन टन के कोयला उत्पादन कार्यक्रम की परिकल्पना की है। सीआईएल ने कोयला उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. खदान विकासकर्ता सह प्रचालक मोड द्वारा प्रचालित की जाने वाली लगभग 160 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) की क्षमता वाली 15 परियोजनाओं का अभिनिर्धारण।
2. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) 2006 के खंड 7(ii) के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति में विशेष छूट के माध्यम से क्षमता अभिवृद्धि।
3. सीआईएल ने 'फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी' परियोजनाओं के अंतर्गत मशीनीकृत कोयला परिवहन और लोडिंग प्रणाली का उन्नयन करने के लिए कदम उठाए हैं।

घरेलू कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के अलावा, कोयले के आयात को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. कोयला आयात प्रतिस्थापन के प्रयोजनार्थ कोयला मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोयला कंपनियों और बंदरगाहों के प्रतिनिधि इस आईएमसी के सदस्य हैं। यह समिति प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ एक बड़े फोरम पर चर्चा के लिए मंच प्रदान करती है ताकि उन्हें अपने संबंधित क्षेत्र के कोयला उपभोक्ताओं को कोयले के आयात को खत्म करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। आईएमसी के निर्देशों पर, कोयले के आयात को ट्रैक करने के लिए मंत्रालयों को सक्षम बनाने हेतु कोयला मंत्रालय द्वारा एक आयात आंकड़ा प्रणाली विकसित की गई है।
2. उन मामलों में, जहां वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) मानक आवश्यकता (अपतटीय) को 90% तक घटा दिया गया था अथवा जहां एसीक्यू की मानक आवश्यकता को 70% (तटीय विद्युत संयंत्रों) तक घटा दिया गया था, विद्युत संयंत्रों की वार्षिक अनुबंधित मात्रा को मानक आवश्यकता के 100% तक बढ़ा दिया गया है। एसीक्यू में वृद्धि विद्युत संयंत्रों को और अधिक घरेलू कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।
3. उपर्युक्त के अलावा, उपभोक्ताओं को बैंक से ऋण की सुविधा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मीयादी एलसी (साख पत्र) भुगतान तंत्र की सुविधा की शुरूआत, व्यापारियों सहित कोयला आयातकों के लिए विशेष स्थानीय नीलामी योजना, कोयले के आयात को कम करने में मदद करना जैसे कुछ अन्य उपाय शुरू किए गए हैं। विभिन्न हितधारकों के ठोस प्रयासों से, देश में घरेलू कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों द्वारा मिश्रण के प्रयोजन के लिए कोयले का आयात कम कर दिया गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1592

जिसका उत्तर 15 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ता के अधिकार

1592. श्री राम शकल:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को अब तक परिभाषित नहीं किया गया है और परिणामस्वरूप उन्हें कनेक्शन लेने, लोड बढ़ाने या घटाने, गलत बिलों को ठीक करवाने और मीटरों को बदलवाने आदि कार्यों में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित नियम कार्यान्वित कर दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 के भाग VI में उपभोक्ता संरक्षण: निष्पादन के मानक का प्रावधान है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 57 उल्लेख करती हैः

"(1) समुचित आयोग, अनुज्ञप्तिधारियों और ऐसे व्यक्तियों से जिनके प्रभावित होने की संभावना है, परामर्श करने के पश्चात किसी अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों के किसी वर्ग के लिए निष्पादन के मानक विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने में असफल रहता है तो ऐसी शास्ति, जो अधिरोपित की जाए या ऐसा अभियोजन जो आरंभ किया जाए, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह प्रभावित व्यक्ति को ऐसा प्रतिकर देने के लिए दायी होगा, जो समुचित आयोग द्वारा अवधारित किया जाएः परंतु प्रतिकर का अवधारण करने से पूर्व संबद्ध अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन अवधारित प्रतिकर ऐसे अवधारण से नब्बे दिन के भीतर संबंद्ध अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संदत्त किया जाएगा।"

इसके कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय ने विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत दिनांक 31 दिसंबर, 2020 को विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 अधिसूचित किए हैं। ये नियम इस अवधारणा से उत्पन्न हुए हैं कि विद्युत प्रणालियां उपभोक्ताओं के हितों के लिए उपयोगी और विश्वसनीय सेवाएं तथा गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्राप्त करने के उनके अधिकार का संरक्षण करने के लिए अस्तित्व में हैं।

इन नियमों का कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करेगा कि नए विद्युत कनेक्शन, प्रतिदेय और अन्य सेवाएं समयबद्ध तरीके से दी जाती रहें। उपभोक्ता अधिकारों की जानबूझकर अवहेलना सेवाप्रदाताओं पर दंड वसूलने में परिणित होगी। ये नियम अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 31.12.2020 से लागू हो गए हैं।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1593
जिसका उत्तर 15 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

विद्युत की कटौती में सुधार

1593. श्री रेवती रमन सिंह:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत की कटौती में कितने प्रतिशत सुधार हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में अधिष्ठापित विद्युत संयंत्रों की क्षमता विद्युत की अधिकतम मांग (पीक डिमांड) को पूरा कर पाने में सक्षम होती जा रही है;

(ग) वर्ष 2022 में विद्युत कंपनियों द्वारा विद्युत उत्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : देश में तथा उत्तर प्रदेश में, वर्ष 2013-14 से 2021-22 (अप्रैल, 2021 से फरवरी, 2022 तक की अवधि) तक ऊर्जा की मांग और आपूर्ति की गई ऊर्जा के मध्य अंतर **अनुबंध** में दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में इस अंतर का प्रतिशत वर्ष 2013-14 में 14.0% से घटकर वर्ष 2021-22 में 0.9% रह गया है; तथा यह अंतर भी विद्युत की कमी के कारण नहीं है, बल्कि स्थानीय प्रणाली की बाधाओं के कारण है।

(ख) : देश में दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार, 395.61 गीगावाट की संस्थापित क्षमता है जो व्यस्ततम मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। वर्ष 2021-22 के दौरान, देश ने लगभग 203 गीगावाट की व्यस्ततम मांग का अनुभव किया था।

(ग) और (घ) : देश में विद्युत की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति तदनुरूप विद्युत उत्पादन में वृद्धि द्वारा की जा रही है। वर्ष 2021-22 (दिनांक 28.02.2022 तक) के दौरान, 15,978.84 मेगावाट की उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि की गई है जिसमें ताप विद्युत से 3,825 मेगावाट, जल विद्युत (25 मेगावाट क्षमता से अधिक) से 213 मेगावाट और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 11,940.84 मेगावाट शामिल हैं।

****

<u>अनुबंध</u>

राज्य सभा में दिनांक 15.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1593 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2021-22 (फरवरी, 2022 तक) से ऊर्जा की दृष्टि से, देश तथा उत्तर प्रदेश की विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा

वर्ष	उत्तर प्रदेश				अखिल भारत			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
2013-14	94,890	81,613	13,277	14.0	10,02,253	9,59,825	42,428	4.2
2014-15	1,03,179	87,062	16,117	15.6	10,68,923	10,30,785	38,138	3.6
2015-16	1,06,350	93,033	13,317	12.5	11,14,408	10,90,851	23,557	2.1
2016-17	1,07,569	1,05,700	1,869	1.7	11,42,929	11,35,334	7,595	0.7
2017-18	1,20,052	1,18,303	1,749	1.5	12,13,326	12,04,697	8,629	0.7
2018-19	1,17,133	1,16,149	984	0.8	12,74,595	12,67,526	7,070	0.6
2019-20	1,22,549	1,21,004	1,545	1.3	12,91,010	12,84,444	6,566	0.5
2020-21	1,24,367	1,23,383	984	0.8	12,75,534	12,70,663	4,871	0.4
2021-22 (फरवरी, 2022 तक)*	1,18,536	1,17,441	1,095	0.9	12,51,314	12,46,170	5,144	0.4

***अनंतिम**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1594

जिसका उत्तर 15 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

मोल्लेम वन्यजीव अभयारण्य, गोवा से गुजरने वाली विद्युत पारेषण लाईन

1594. श्री लूइझिनो जोएक्विम फलेरो:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मोल्लेम वन्यजीव अभयारण्य से गुजरने वाली गोवा-तमनार विद्युत पारेषण परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त परियोजना को त्याग दिया जाएगा या फिर माननीय उच्चतम न्यायालय की अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा सुझाए गए अनुरूप इसका स्थान बदला जाएगा;

(ग) मोल्लेम वन्य जीव अभयारण्य से गुजरने वाली इस विद्युत पारेषण लाइन से कितनी विद्युत (पावर) की आपूर्ति होगी और विद्युत में कितनी बढ़ोत्तरी होने का लक्ष्य है; और

(घ) वर्ष 2027 और 2032 में गोवा की कुल अनुमानित विद्युत (पावर) आवश्यकता कितनी होगी?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : गोवा-तमनार विद्युत पारेषण परियोजना का कोई भी पारेषण घटक मोल्लेम राष्ट्रीय पार्क से नहीं गुजरता है/में स्थित नहीं है। तथापि, परियोजना का एक घटक, अर्थात जेल्डेम में नरेंद्र (मौजूदा) - नरेंद्र (न्यू) 400 केवी डी/सी क्वाड लाइन के एक सर्किट का एलआईएलओ, गोवा के मोल्लेम में स्थित भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य (2.51 कि.मी.) से गुजारने का प्रस्ताव है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित, केंद्रीय अधिकार-प्राप्त समिति (सीईसी) ने दिनांक 23 अप्रैल, 2021 को माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, जेल्डेम न्यू (संगोड) एस/एस तथा मापुसा 400 केवी पारेषण लाइन और 220 केवी जेल्डेम न्यू (संगोड) - जेल्डेम पारेषण लाइन के निर्माण के बाद, गोवा के मौजूदा 220 केवी अम्बेवाड़ी पोंडा डी/सी लाइन कॉरीडोर के रूट कॉरीडोर का उपयोग करके प्रस्तावित पारेषण लाइन (अर्थात जेल्डेम में नरेंद्र (मौजूदा) - नरेंद्र (न्यू) 400 केवी डी/सी क्वाड लाइन के एक सर्किट का एलआईएलओ) ले जाने की सिफारिश की है।

वर्तमान में, माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय लंबित होने के कारण, इस लाइन के उपर्युक्त खंड का कार्य रुका हुआ है।

(ग) : गोवा-तमनार विद्युत पारेषण परियोजना में जेल्डेम में नरेंद्र (मौजूदा) - नरेंद्र (न्यू) 400 केवी डी/सी क्वाड लाइन के एक सर्किट के एलआईएलओ का कार्यान्वयन शामिल है। इस लिंक की क्षमता 1600 मेगावाट है। मापुसा से जेल्डेम न्यू (संगोड) एस/एस तक 400 केवी लाइन के साथ-साथ यह लाइन गोवा प्रणाली को संवर्धित विश्वसनीयता प्रदान करेगी। जेल्डेम में नरेंद्र (मौजूदा) - नरेंद्र (न्यू) 400 केवी डी/सी क्वाड लाइन के एक सर्किट के एलआईएलओ का कार्यान्वयन गोवा को राष्ट्रीय ग्रिड के साथ मौजूदा कोल्हापुर-मापुसा 400 केवी डी/सी लिंक (जेल्डेम न्यू (संगोड) एस/एस तक विस्तारित की जाने वाली) के अतिरिक्त दूसरा 400 केवी फीड उपलब्ध कराएगा। इस लिंक से गोवा मौजूदा किसी एक 400 केवी लाइन की बंदी की स्थिति में भी अपने भार को पूरा कर सकेगा।

(घ) : जनवरी, 2017 में प्रकाशित 19वें इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) रिपोर्ट में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए वर्ष 2016-17 से वर्ष 2026-27 तक के लिए विद्युत मांग प्रक्षेपण के साथ-साथ वर्ष 2031-32 और वर्ष 2036-37 हेतु भावी विद्युत मांग प्रक्षेपण शामिल किया गया है। गोवा का वर्तमान भार लगभग 646 मेगावाट है। वर्ष 2026-27 और 2031-32 के लिए गोवा की अनुमानित व्यस्ततम विद्युत मांग क्रमशः लगभग 1096 मेगावाट और 1361 मेगावाट संभावित है।

वर्ष 2026-27 और 2031-32 हेतु गोवा की अनुमानित विद्युत ऊर्जा आवश्यकता (एक्स-बस) लगभग क्रमशः 6932 एमयू और 8170 एमयू होगी।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1595

जिसका उत्तर 15 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

देश में विभिन्न विद्युत परियोजनाएं

1595. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में ताप विद्युत/परमाणु/सौर/पन विद्युत की चालू/आने वाली परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची जारी की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) देशभर में परियोजना-वार आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वापस ली गई परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, खासतौर पर राजस्थान से, ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत उत्पादन एक लाइसेंस रहित प्रक्रिया है। विद्युत की मांग और तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए राज्य/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित विभिन्न यूटीलिटियों द्वारा विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं। इस संबंध में, केन्द्रीय सरकार द्वारा, कार्यनीतिक स्थानों में कुछ विशिष्ट विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर, किसी प्रकार की निधियों का आबंटन नहीं किया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के पास उपलब्ध वर्तमान/आगामी परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्तमान (दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता)

(मेगावाट में)

ईंधन	**संस्थापित क्षमता**
ताप	235928.72
नाभिकीय	6780.00
नवीकरणीय (बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं सहित)	152899.15
कुल	**395607.87**

आगामी/निर्माणाधीन परियोजनाएं

(मेगावाट में)

ईंधन	**क्षमता**
तापीय	28,460
नाभिकीय	15,700
नवीकरणीय (बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं सहित)	72,606
कुल	**1,16,766**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1596

जिसका उत्तर 15 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली

1596. श्री जोस के. मणि:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास विगत तीन वर्षों के दौरान देश में कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित कुल बिजली संबंधी आंकड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2021 के दौरान देश में कोयले से पैदा होने वाली बिजली में गिरावट पाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की निकट भविष्य में विद्युत उत्पादन हेतु कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों पर अपनी निर्भरता को कम करने हेतु कोई योजना है, यदि हां, तो इस बाबत की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (फरवरी, 2022 तक) के दौरान देश में कोयला-दहन विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादन की गई विद्युत का ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दिया गया हैः

वित्तीय वर्ष (एफवाई)	कोयला उत्पादन मिलियन यूनिट (एमयू) में
2018-19	987681.83
2019-20	961218.23
2020-21	950937.55
2020-21 (फरवरी, 2021 तक)	850890.95
2021-22 (फरवरी, 2022 तक)	938363.39

तालिका से यह देखा जा सकता है कि कोविड-19 महामारी के कारण पिछले वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2020-21 के दौरान देश में कोयला दहन विद्युत उत्पादन में कमी आई है। तथापि, पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वर्तमान वर्ष 2021-22 (फरवरी, 2022 तक) के दौरान कोयला दहन उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(ग) : दिनांक 06.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, 395,592.86 मेगावाट की कुल क्षमता में से कोयला आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता 203,889.5 मेगावाट अर्थात लगभग 52% है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा तैयार किए गए वर्ष 2029-30 हेतु इष्टतम उत्पादन क्षमता मिश्र प्रक्षेपों के अनुसार, गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के कारण वर्ष 2030 में 817 गीगावाट की कुल प्रक्षेपित क्षमता में से कोयला आधारित ताप परियोजनाओं की क्षमता लगभग 267 गीगावाट अर्थात लगभग 32% होगी।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1597

जिसका उत्तर 15 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों के माध्यम से विद्युत उत्पादन

1597. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों के माध्यम से उत्पादित कुल बिजली कितनी है, तत्संबंधी राज्य-वार विवरण कितना है;

(ख) उच्च तथा निम्न ताप वाले आयातित कोयले के माध्यम से देश में कुल कितनी बिजली उत्पादित की गई, तत्संबंधी राज्य-वार वितरण कितना है;

(ग) क्या कोयले, खासतौर से गैर-कोककारी कोयले के आयात में कमी बिजली उत्पादन को प्रभावित करेगी; और

(घ) क्या बिजली के उत्पादन के लिए गैर-कोककारी कोयले का वहनीय विकल्प उपलब्ध कराया गया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (फरवरी, 2022 तक) के दौरान देश में कोयला संयंत्रों के माध्यम से कुल विद्युत उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ख) : विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (फरवरी, 2022 तक) के दौरान आयातित कोयले उच्च एवं निम्न सकल कैलोरिफिक मान दोनों के माध्यम से देश में कुल विद्युत उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(ग) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा संकलित सूचना के अनुसार, वर्ष 2021-22 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान कोयले का आयात मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आयातित कोयले की उच्च कीमत के कारण पिछले वर्ष की समान अवधि में 39.0 मी. टन की तुलना में घटकर 22.7 मी. टन हो गया। आयातित कोयले की इस कमी की भरपाई घरेलू कोयले की बढ़ी हुई आपूर्ति के माध्यम से की गई है, जो कि वर्ष 2020-21 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान 442.6 मी. टन से वर्ष 2021-22 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान 547.2 मी. टन हो गई है। इस प्रकार, कोयले के आयात में कमी के कारण उत्पादन में हुई हानि की भरपाई घरेलू कोयला आधारित संयंत्रों से अधिक उत्पादन से की गई है।

(घ) : हमारा लक्ष्य वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता (हाइड्रो, परमाणु, सौर पीवी, पवन, बायोमास आदि) से 500 गीगावाट संस्थापित क्षमता हासिल करना है। यह भविष्य में कोयले पर आधारित उत्पादन को काफी हद तक स्थानापन्न करेगा।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 15.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1597 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (फरवरी, 2022 तक) के दौरान कोयला संयंत्रों (राज्य-वार) के माध्यम से उत्पादित विद्युत का ब्यौरा

क्षेत्र	राज्य	ईंधन	स्टेशनों के नाम	दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता मेगावाट	उत्पादन (एमयू)			
					*2021-22 (फरवरी, 22 तक) एमयू	2020-21	2019-20	2018-19
उत्तरी क्षेत्र	दिल्ली	कोयला	बदरपुर टीपीएस	-	-	-	0	1400.33
	हरियाणा	कोयला	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	1500	6217.36	3654.73	3842.82	7387.28
		कोयला	महात्मा गांधी टीपीएस	1320	7356.31	4873.03	5888.87	6898.35
		कोयला	पानीपत टीपीएस	710	2301.92	1218.49	1972.8	3378.89
		कोयला	राजीव गांधी टी.पी.एस	1200	2355.21	1636.91	2316.12	3852.19
		कोयला	यमुना नगर टीपीएस	600	2197.29	2611.42	2741.24	3321.63
	पंजाब	कोयला	जीएच टीपीएस (लेह. मोह.)	920	1708.49	905.76	915.99	2485.15
		कोयला	गोइंदवाल साहिब टीपीपी	540	1722.82	1282.71	1312.74	2445.49
		कोयला	राजपुरा टीपीपी	1400	8792.23	7951.49	8757.21	9123.71
		कोयला	रोपड़ टीपीएस	840	1399.18	883.52	1051.62	1669.99
		कोयला	तलवंडी साबो टीपीपी	1980	7950.6	6971.31	8864.11	10639.92
	राजस्थान	कोयला	छाबड़ा टीपीपी	-	-	14421.24	13515.68	10379.13
		कोयला	छाबड़ा-I फेज-1 टीपीपी	500	2225.98	-	-	-
		कोयला	छाबड़ा-I फेज-2 टीपीपी	500	1927.52	-	-	-
		कोयला	छाबड़ा-II टीपीपी	1320	4878.89	-	-	-
		कोयला	कालीसिंध टीपीएस	1200	6375.73	6089.98	5728.09	5550.4
		कोयला	कवाई टीपीएस	1320	7439.07	8590.5	8000.29	7599.26
		कोयला	कोटा टीपीएस	1240	6281.63	5192.46	6513.16	7921.01
		कोयला	सूरतगढ़ एसटीपीएस	1320	4111.29	0	0	0
		कोयला	सूरतगढ़ टीपीएस	1500	3038.76	2443.87	4690.34	7168.92
	उत्तर प्रदेश	कोयला	अनपरा सी टीपीएस	1200	7486.28	8666.5	7539.56	8236.75
		कोयला	अनपरा टीपीएस	2630	15718.62	15279.04	17047.66	20140.46
		कोयला	बरखेड़ा टीपीएस	90	193.49	184.19	90.84	148.7
		कोयला	दादरी (एनसीटीपीपी)	1820	5261.31	3957.75	6546.43	10533.54
		कोयला	हरदुआगंज टीपीएस	1265	1216.35	2142.65	3274.14	3141.52
		कोयला	खांबरखेड़ा टी.पी.एस	90	192.32	188.1	79.81	141.2
		कोयला	कुंदरकी टीपीएस	90	274.72	246.58	125.18	203.67
		कोयला	ललितपुर टीपीएस	1980	8856.12	7289.49	7174.91	5449.92
		कोयला	मकसूदपुर टीपीएस	90	196.03	190.83	102.56	141.28
		कोयला	मेजा एसटीपीपी	1320	7138.66	4054.65	1050.67	69.61
		कोयला	ओबरा टीपीएस	1094	4201.69	4698.93	3695.92	3648.03
		कोयला	परीछा टीपीएस	1140	3361.88	3677.32	3835.22	4978.88
		कोयला	प्रयागराज टीपीपी	1980	10685.71	10751.13	9120.88	7759.32
		कोयला	रिहंद एसटीपीएस	3000	20274.75	23398.68	23359.27	22686.8
		कोयला	रोसा टीपीपी फेज-I	1200	5530.29	6751.18	6039.7	4340.9
		कोयला	सिंगरौली एसटीपीएस	2000	13057.53	14959.51	15331.89	14798.21
		कोयला	टांडा टीपीएस	1760	7553.1	5738.68	3958.39	2371.8
		कोयला	ऊंचाहार टीपीएस	1550	7429.84	7156.4	8526.46	7241

		कोयला	उतरौला टीपीएस	90	241.85	261.35	119.42	196.09
पश्चिमी क्षेत्र	छत्तीसगढ़	कोयला	अकलतरा टीपीएस	1800	7928.62	10475.04	10309.8	7912.22
		कोयला	अवंथा भंडार	600	3256.26	2877.03	483.99	0
		कोयला	बाल्को टीपीएस	600	3086.43	3781.65	3497.96	2768.07
		कोयला	बंदाखार टीपीपी	300	1969.29	2090.95	2062.18	2137.6
		कोयला	बारदरहा टीपीएस	1200	7744.66	8073.35	6439.02	6729.62
		कोयला	भिलाई टीपीएस	500	3158.39	3209.98	2745.97	3426.23
		कोयला	बिंजकोट टीपीपी	600	1644.9	1866.84	2683.49	1464.92
		कोयला	चकबुरा टीपीपी	30	81.58	204.38	235.35	241.55
		कोयला	डीएसपीएम टीपीएस	500	3546.26	3336.85	3847.87	3828.15
		कोयला	कसईपल्ली टीपीपी	270	1208.9	1404.55	1695.85	1900.36
		कोयला	कटघोरा टीपीपी	35	0	0	0	0
		कोयला	कोरबा एसटीपीएस	2600	19593.4	21332.59	19793.34	20083.42
		कोयला	कोरबा-II	-	-	0	0	226.1
		कोयला	कोरबा-III	0	0	975.72	1308.74	1317.27
		कोयला	कोरबा-पश्चिम टीपीएस	1340	8049.04	9379.24	8699.78	9472.41
		कोयला	लारा टीपीपी	1600	10409.95	6096.63	2752.24	262.91
		कोयला	मारवा टीपीएस	1000	4247.77	4542.2	4356.14	6415.52
		कोयला	नवापारा टीपीपी	600	574.5	1963.01	1926.84	3095.17
		कोयला	ओपी जिंदल टीपीएस	1000	4610.85	4397.99	2341.8	3349.21
		कोयला	पथाडी टीपीपी	600	3647.06	4568.84	3480.5	4293.08
		कोयला	रायखेड़ा टीपीपी	1370	7955.44	6540.99	5831.21	2830.89
		कोयला	रतीजा टीपीएस	100	605.54	483.68	714.2	799.1
		कोयला	सलोरा टीपीपी	135	0	0	0	0
		कोयला	सीपत एसटीपीएस	2980	19575.84	23524.78	22530.32	23907.12
		कोयला	एसवीपीएल टीपीपी	63	0	0	313.1	12.44
		कोयला	स्वास्तिक कोरबा टीपीपी	25	0	0	0	0
		कोयला	तमनार टीपीपी	2400	8322.75	8667.68	7119.61	7044.63
		कोयला	उचपिंडा टीपीपी	1440	6007.54	4820.53	2822.97	1953.26
	गुजरात	कोयला	गांधी नगर टीपीएस	630	2908.99	1464.48	1709.1	3703.99
		कोयला	मुंद्रा टीपीएस	-	-	-	29825.01	23912.38
		कोयला	मुंद्रा टीपीएस-I और II	2640	7848.69	13693.7	-	-
		कोयला	मुंद्रा टीपीएस-III	1980	2982.15	11971.28	-	-
		कोयला	मुंद्रा यूएमटीपीपी	4000	8375.54	26208.53	26495.39	26839.3
		कोयला	साबरमती (डी-एफ स्टेशन)	362	2217.4	1403.8	2317.99	2785.64
		कोयला	सलाया टीपीपी	1200	0	4048.87	4589.86	0
		कोयला	सिक्का रिब. टी पी एस	500	962.12	1836.22	2711.25	2725.93
		कोयला	उकई टीपीएस	1110	4389.83	4601.92	5781.18	6936.96
		कोयला	वानकबोरी टीपीएस	2270	9931.34	6408.75	5581.26	8343.14
	मध्य प्रदेश	कोयला	अमरकंटक एक्सटेंशन टीपीएस	210	1381.35	1632.45	1691.61	1636.16
		कोयला	अनूपपुर टीपीपी	1200	6954.88	6654.31	6267.72	6689.6
		कोयला	बीना टीपीएस	500	2161.72	1686.39	2513.68	2503.79
		कोयला	गडरवारा टीपीपी	1600	7005.51	4497	1076.12	0
		कोयला	खरगोन एसटीपीपी	1320	5572.23	4340.13	959.11	-
		कोयला	महान टीपीपी	1200	2935.73	2889.61	3281.04	3220.09
		कोयला	निगरी टीपीपी	1320	7785.04	8106.4	6356.69	7330.28
		कोयला	निवारी टीपीपी	90	145.14	170.23	243.25	77.38
		कोयला	संजय गांधी टी.पी.एस	1340	5785.64	8616.32	6604.2	8680.63
		कोयला	सासन यूएमटीपीपी	3960	29779.89	33387.69	33340.92	32877.27
		कोयला	सतपुरा टीपीएस	1330	3090.14	4505.8	5276.35	7472.97
		कोयला	सियोनी टीपीपी	600	3278.21	3677.23	2901.09	2500.55
		कोयला	श्री सिंगाजी टीपीपी	2520	8375.4	5928.37	8647.04	7753.38
		कोयला	विंध्याचल एसटीपीएस	4760	32793.88	36997.85	35659.46	37539
	महाराष्ट्र	कोयला	अमरावती टीपीएस	1350	8093.24	2835.89	3196.28	4074.09
		कोयला	बेला टीपीएस	270	0	0	0	149.37

		कोयला	भुसावल टीपीएस	1210	5665.41	4801.3	5317.27	6595.75
		कोयला	बुटीबोरी टीपीपी	600	0	0	0	2212.73
		कोयला	चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	2920	13448.53	16097.12	16028.86	15850.79
		कोयला	दहानु टीपीएस	500	3026.46	3206.13	3347.43	3617.02
		कोयला	धारीवाल टीपीपी	600	3625.37	4228.79	3378.1	3228.9
		कोयला	जीईपीएल टीपीपी फेज-I	120	0	0	0	0
		कोयला	जीएमआर वरोरा टीपीएस	600	3057.83	3934.82	4138.84	3895.25
		कोयला	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	300	3327.13	6199.03	7868.77	8019.75
		कोयला	खापरखेड़ा टीपीएस	1340	6395.55	7930.84	7260.45	7471.18
		कोयला	कोराडी टीपीएस	2190	10464.65	8430.42	9466.38	8429.52
		कोयला	मौदा टीपीएस	2320	11148.95	6694.84	10403.74	11878.13
		कोयला	मिहान टीपीएस	246	0	0	0	0
		कोयला	नासिक (पी) टीपीएस	1350	0	0	0	0
		कोयला	नासिक टीपीएस	630	1788.67	737.11	2359.7	2316.16
		कोयला	पारस टीपीएस	500	2325.27	3368.79	2773.98	2628.25
		कोयला	परली टीपीएस	750	2637	2408.06	2434.21	2842.07
		कोयला	शीरपुर टीपीपी	150	0	0	0	0
		कोयला	सोलापुर एसटीपीएस	1320	4352.08	3586.06	817.22	1783.67
		कोयला	तिरोरा टीपीएस	3300	19352.62	18049.49	23254.4	21665.55
		कोयला	ट्रॉम्बे टीपीएस	750	4131.44	3586.29	4758.17	5018.74
		कोयला	वर्धा वरोरा टीपीपी	540	2071.02	2078.85	198.36	1052.44
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	कोयला	दामोदरम संजीवैया टीपीएस	1600	5053.68	7228.27	7127.55	6957.21
		कोयला	डॉ. एन. टाटा राव टी.पी.एस.	1760	10447.96	8330.96	11061.93	10885.93
		कोयला	पैनमपुरम टीपीपी	1320	8550.23	8992.83	10302.97	8369.17
		कोयला	रायलसीमा टीपीएस	1650	6002.08	2373.87	6408.9	6637.55
		कोयला	एसजीपीएल टीपीपी	1320	6833.84	9270.13	8403.69	9736.08
		कोयला	सिम्हाद्री	2000	10199.96	8679	10649.71	12449.08
		कोयला	सिम्हापुरी टीपीएस	600	0	0	0	99.46
		कोयला	थम्मिनापट्टनम टीपीएस	300	422.41	126.83	0	36.59
		कोयला	विजाग टीपीपी	1040	201.16	1143.82	2961.32	949.1
	कर्नाटक	कोयला	बेल्लारी टीपीएस	1700	6021.96	3094.68	4050.4	4059.06
		कोयला	कुडगी एसटीपीपी	2400	5379.94	4711.33	4604.36	7566.33
		कोयला	रायचूर टीपीएस	1720	6101.05	3927.85	8532.64	8917.98
		कोयला	तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-I)	260	1270.93	1007.73	1130.77	1319.47
		कोयला	तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-II)	600	1747.22	1389.74	1863.53	2484.62
		कोयला	उडुपी टीपीपी	1200	1300.98	2350.12	3277.94	5214.35
		कोयला	येरमारस टीपीपी	1600	4738.21	3379.79	376.78	790.93
	तमिलनाडु	कोयला	आईटीपीसीएल टीपीपी	1200	3009.52	4819.06	7235.28	5544.59
		कोयला	मेट्टूर टीपीएस	840	4404.67	3544.11	4619.22	5807.22
		कोयला	मेट्टूर टीपीएस-II	600	2485.02	1418.37	2596.36	3153.1
		कोयला	मुथियारा टीपीपी	1200	1165.47	2297.1	3559.82	3221.74
		कोयला	नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	1830	7067.71	6458.77	9047.66	10711.12
		कोयला	एनटीपीएल तूतीकोरिन टीपीपी	1000	3874.66	5290.62	4844.41	5486.62
		कोयला	तूतीकोरिन (पी) टीपीपी	300	0	0	0	0
		कोयला	तूतीकोरिन टीपीपी स्टे.-IV	525	0	-	-	-
		कोयला	तूतीकोरिन टीपीएस	1050	4579.01	4132.38	5303.36	6306.31
		कोयला	वल्लूर टीपीपी	1500	6998.25	4369	5674.72	7706.87
	तेलंगाना	कोयला	भद्राद्री टीपीपी	1080	4569.04	1670.75	0	0
		कोयला	काकतीय टी.पी.एस	1100	6399.81	6322.47	7554.74	7727.37
		कोयला	कोठागुडेम टीपीएस	-	-	0	2295.57	3611.15
		कोयला	कोठागुडेम टीपीएस (नया)	1000	5714.4	6316.18	7167.84	7543.74
		कोयला	कोठागुडेम टीपीएस (चरण-7)	800	5260.1	6109.56	3578.51	1666.74
		कोयला	रामगुंडम एसटीपीएस	2600	15814.77	16711.55	17126.05	18547.91
		कोयला	रामगुंडम-बी टीपीएस	62.5	242.62	285.95	398.09	423.03
		कोयला	सिंगरेनी टीपीपी	1200	8459.2	7344.3	9226.98	8698.48
पूर्वी	बिहार	कोयला	बरौनी टीपीएस	710	2217.71	1362.95	228.69	44.85

क्षेत्र		कोयला	बाढ़-I	660	1063.23	0	0	0
		कोयला	बाढ़-II	1320	6591.24	7803.8	8219.09	9845.23
		कोयला	कहलगांव टीपीएस	2340	14757.19	13231.15	16504.46	16485.91
		कोयला	मुजफ्फरपुर टीपीएस	390	2561.43	2468.93	2904.66	3039.78
		कोयला	नबीनगर एसटीपीपी	1320	7115.21	4734.79	2616.7	0
		कोयला	नबीनगर टीपीपी	1000	5035.48	4264.52	4887.16	2754.75
	झारखंड	कोयला	बोकारो `बी` टीपीएस	0	0	18.59	94.03	688.44
		कोयला	बोकारो टीपीएस `ए` एक्सपें.	500	2638.1	3271.47	2689.99	2920.75
		कोयला	चंद्रपुरा (डीवीसी) टीपीएस	500	3464.99	3268.59	3425.71	3560.59
		कोयला	जोजोबेरा टीपीएस	240	1456.19	1417.27	1464.39	1519.04
		कोयला	कोडरमा टीपीपी	1000	6219.67	7508.95	6459.72	6278.75
		कोयला	महादेव प्रसाद एसटीपीपी	540	3348.14	3113.78	3029.42	2876.22
		कोयला	मैथन आरबी टीपीपी	1050	7082.08	6383.36	6488.2	7267.81
		कोयला	तेनुघाट टीपीएस	420	1536.47	2237.96	2420.62	1689.05
	ओडिशा	कोयला	दर्लीपाली एसटीपीएस	1600	7948.1	4775.89	421.11	0
		कोयला	देरांग टीपीपी	1200	7715.01	5936.33	5199.79	4213.6
		कोयला	आईबी वैली टीपीएस	1740	9177.38	8643.13	6495.79	3085.46
		कोयला	आईसीसीएल इम्पॉ.	0	258.6	235.75	271.59	186.59
		कोयला	कमलंगा टीपीएस	1050	6833.89	7101.19	5865.43	6690.02
		कोयला	नाल्को इम्पॉ.	0	53.56	177.75	46.3	194.02
		कोयला	तालचर (ओल्ड) टीपीएस	0	0	3405.51	3378.28	3606.84
		कोयला	तालचर एसटीपीएस	3000	19957.99	21897.14	19261.2	21242.3
		कोयला	उत्कल टीपीपी (इंड बराथ)	350	0	0	0	0
		कोयला	वेदांत टीपीपी	600	2276.82	3033.78	585.71	828.09
	पश्चिम बंगाल	कोयला	बकरेश्वर टीपीएस	1050	7532.17	7896.57	7002.77	7182.26
		कोयला	बंदेल टीपीएस	330	1553.32	1170.8	860.04	1315.39
		कोयला	बज बज टीपीएस	750	5049.86	5422.69	5798.13	6011.69
		कोयला	डी.पी.एल. टी पी एस	550	2346.39	2787.96	2233.33	2442.23
		कोयला	दिशेरगढ़ टीपीपी	12	0	-	-	-
		कोयला	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	1000	5524.2	5780.98	6319.02	6293.54
		कोयला	दुर्गापुर टीपीएस	210	173.16	135.82	437.85	981.28
		कोयला	फरक्का एसटीपीएस	2100	11119.42	11928.6	13132.63	14846.44
		कोयला	हल्दिया टीपीपी	600	3885.02	4224.94	4430.09	4614.74
		कोयला	हिरणमय टीपीपी	300	949.84	433.86	10.02	80.71
		कोयला	कोलाघाट टीपीएस	1260	3857.38	1769.36	2871.42	4422.88
		कोयला	मेजिया टीपीएस	2340	13128.79	12828.81	12540.81	12744.35
		कोयला	रघुनाथपुर टीपीपी	1200	5501.21	5225.69	5030.71	3208.4
		कोयला	सागरदिघी टीपीएस	1600	10716.41	9596.12	6695.31	6051.94
		कोयला	संतालडीह टीपीएस	500	3543.7	3442.98	3693.99	3552.62
		कोयला	दक्षिणी उत्तर. टी पी एस	135	138.76	89.89	339.27	283.78
		कोयला	टीटागढ़ टीपीएस	240	0	0	0	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	असम	कोयला	बोंगाईगांव टीपीपी	750	3771.83	2976.74	3929.96	2824.21
कुल				203899.50	938363.63	950937.55	961218.23	987681.83

*** वास्तविक-सह-मूल्यांकन के आधार पर अनंतिम**

1. केवल 25 मेगावाट और उससे अधिक के कोयला स्टेशनों से सकल उत्पादन।

****

<u>**अनुबंध-II**</u>

राज्य सभा में दिनांक 15.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1597 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (फरवरी, 2022 तक) के दौरान आयातित कोयले के माध्यम से उत्पादित विद्युत (राज्य-वार) का ब्यौरा

					उत्पादन (एमयू)			
क्षेत्र	**राज्य**	**ईंधन**	**स्टेशनों के नाम**	**दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता मेगावाट**	***2021-22 (फरवरी, 22 तक)**	**2020-21**	**2019-20**	**2018-19**
पश्चिमी क्षेत्र	गुजरात	कोयला-I	मुंद्रा टीपीएस	-	-	-	29825.01	23912.38
		कोयला-I	मुंद्रा टीपीएस-I और II	2640	7848.69	13693.7	-	-
		कोयला-I	मुंद्रा टीपीएस-III	1980	2982.15	11971.28	-	-
		कोयला-I	मुंद्रा यूएमटीपीपी	4000	8375.54	26208.53	26495.39	26839.3
		कोयला-I	सलाया टीपीपी	1200	0	4048.87	4589.86	0
		कोयला-I	सिक्का रिप. टीपीएस	500	962.12	1836.22	2711.25	2725.93
	महाराष्ट्र	कोयला-I	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	300	3327.13	6199.03	7868.77	8019.75
		कोयला-I	ट्रॉम्बे टीपीएस	750	4131.44	3586.29	4758.17	5018.74
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	कोयला-I	सिम्हापुरी टीपीएस	600	0	0	0	99.46
		कोयला-I	थम्मिनापट्टनम टीपीएस	300	422.41	126.83	0	36.59
	कर्नाटक	कोयला-I	तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-I)	260	1270.93	1007.73	1130.77	1319.47
		कोयला-I	तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-II)	600	1747.22	1389.74	1863.53	2484.62
		कोयला-I	उडुपी टीपीपी	1200	1300.98	2350.12	3277.94	5214.35
	तमिलनाडु	कोयला-I	आईटीपीसीएल टीपीपी	1200	3009.52	4819.06	7235.28	5544.59
		कोयला-I	मुथियारा टीपीपी	1200	1165.47	2297.1	3559.82	3221.74
		कोयला-I	तूतीकोरिन (पी) टीपीपी	300	0	0	0	0
कुल				17030	36543.6	79534.5	93315.79	84436.92

*** वास्तविक-सह-मूल्यांकन के आधार पर अनंतिम**

1. केवल 25 मेगावाट और उससे अधिक के कोयला स्टेशनों से सकल उत्पादन।

****

भारत सरकार

विद्‌युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1598

जिसका उत्तर 15 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

विद्‌युत क्षेत्र द्‌वारा सिंचाई परियोजनाओं का वित्तपोषण

1598. डॉ. सी. एम. रमेश:

क्या **विद्‌युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्‌युत वित्त निगम (पीएफसी) और ग्रामीण विद्‌युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) जो कि विद्‌युत क्षेत्र को समर्पित हैं और विद्‌युत परियोजनाओं को बढ़ावा देते हैं, सिंचाई परियोजनाओं को भी वित्तपोषित कर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वे कौन-से राज्य हैं जहां ऐसी परियोजनाएं वित्तपोषित की जा रही हैं, यह दायित्व किसे सौंपा गया है और क्या समुचित प्राधिकारियों से आवश्यक पर्यावरणीय अनुमोदन और अन्य सांविधिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवेदन लंबित हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्‌युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन के रूप में ज्ञात) विद्‌युत क्षेत्र की परियोजनाओं के साथ-साथ सिंचाई परियोजनाओं का इलेक्ट्रोमैकेनिकल (ईएम), हाइड्रो-मैकेनिकल (एचएम) तथा पम्प, मोटर, प्रेशर मेन्स जैसे सहायक सिविल कार्यों और संबद्‌ध संघटकों/कार्यों आदि का वित्तपोषण करते हैं। इसके ब्यौरे **अनुबंध** पर दिए गए हैं।

(ग) : परियोजनाओं का वित्तपोषण एक निरन्तर प्रक्रिया है और मामले की मेरिट के आधार पर संचालित की जाती है। इस समय, पीएफसी के पास नई सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण के लिए कोई आवेदन लंबित नहीं है। इसके अतिरिक्त, आरईसी लिमिटेड के संबंध में, कालेश्वरम सिंचाई परियोजना निगम लिमिटेड (तेलंगाना सरकार द्‌वारा निगमित स्पेशल पर्पज़ व्हीकल) ने पलामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई स्कीम (पीआरएलआईएस) और 22 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएम), हाइड्रो-मैकेनिकल (एचएम) तथा संबद्‌ध सिविल कार्यों के निष्पादन के लिए क्रमशः 8,927.27 करोड़ रूपये और 3,444.97 करोड़ रूपये के सावधि ऋण की मांग की है।

****

<u>अनुबंध</u>

राज्य सभा में दिनांक 15.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1598 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

ऋणदाता कंपनी	परियोजना का नाम	राज्य	राज्य निष्पादन एजेंसी	लागू स्वीकृतियां	उपलब्ध और शेष स्वीकृतियां
पीएफसी लिमिटेड	कालेश्वरम परियोजना	तेलंगाना	कालेश्वरम सिंचाई परियोजना कंपनी लिमिटेड	i. सीडब्ल्यूसी ii. पर्यावरण स्वीकृतियां iii. वन स्वीकृतियां	i. उपलब्ध ii. उपलब्ध iii. उपलब्ध
पीएफसी लिमिटेड	पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना (पीआरएलआईएस परियोजना)*	तेलंगाना	कालेश्वरम सिंचाई परियोजना निगम लिमिटेड	i. सीडब्ल्यूसी ii. पर्यावरण स्वीकृतियां iii. वन स्वीकृतियां	i. लंबित ii. 10 अगस्त, 2021 को ईआईए सार्वजनिक सुनवाई हुई थी पर्यावरणीय स्वीकृति प्रतीक्षित हैं। iii. उपलब्ध
पीएफसी लिमिटेड	रयालसीमा सूखा शमन स्कीम**	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश रयालसीमा सूखा शमन परियोजना विकास निगम लिमिटेड	इस योजना में 25 परियोजनाएं हैं। अधिकतर परियोजनाएं मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार, नवीकरण/आधुनिकीकरण हैं। जहां कहीं अपेक्षित हो स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए उपयुक्त शर्तें निर्धारित की गई हैं। जहां कहीं आवश्यक है स्वीकृतियां प्रक्रियाधीन हैं।	
आरईसी लिमिटेड	चिंतालापुडी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश जल संसाधन विकास निगम (एपीडब्ल्यूआरडीसी)	i. सीडब्ल्यूसी स्वीकृति ii. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्वीकृति	i. सचिव, जल संसाधन, आंध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 17.11.2021 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि सीडब्ल्यूसी स्वीकृति अनिवार्य नहीं है। ii. प्रक्रियाधीन
आरईसी लिमिटेड	कोंडाविटिवागु लिफ्ट स्कीम- बाढ़ राहत स्कीम	आंध्र प्रदेश			उधारकर्ता ने सूचित किया है कि दोनों ही स्वीकृतियां अपेक्षित नहीं हैं।
आरईसी लिमिटेड	पुरुषोत्तपट्टम लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आंध्र प्रदेश			i. सचिव, जल संसाधन, आंध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 17.11.2021 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि पृथक अनुमोदन आवश्यक नहीं है। ii. प्रक्रियाधीन
आरईसी लिमिटेड	गोदावरी-पेन्ना नदियों की इंटरलिंकिंग चरण 1 परियोजना	आंध्र प्रदेश			i. सचिव, जल संसाधन, आंध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 17.11.2021 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि सीडब्ल्यूसी स्वीकृति आवश्यक नहीं है। ii. सचिव, जल संसाधन, आंध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 17.11.2021 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
आरईसी लिमिटेड	रयालसीमा सूखा शमन स्कीम	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश रयालसीमा सूखा शमन परियोजना विकास निगम लिमिटेड		i. अननुमोदित ii. प्रक्रियाधीन

			(एपीआरडीएमपीडीसीएल)		
आरईसी लिमिटेड	इंदिरम्मा बाढ़ प्रवाह नहर (आईएफएफसी)	तेलंगाना	तेलंगाना राज्य जल संसाधन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (टीएसडब्ल्यूआरआईडीसीएल)	i. सीडब्ल्यूसी स्वीकृति ii. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्वीकृति	i. प्राप्त ii. प्राप्त
आरईसी लिमिटेड	सीता राम लिफ्ट सिंचाई परियोजना	तेलंगाना			i. अनुमोदित उधारकर्ता ने सूचित किया है कि सीडब्ल्यूसी से स्वीकृतियां प्रक्रियाधीन हैं। ii. प्राप्त
आरईसी लिमिटेड	थुपाकुलागुडेम में पीवी नरसिम्हाराव- कंथानापल्ली सुजालास्रावंती स्कीम	तेलंगाना			i. अननुमोदित ऋणकर्ता ने सूचित किया है कि सीडब्ल्यूसी से स्वीकृतियां प्रक्रियाधीन हैं। ii. प्राप्त
आरईसी लिमिटेड	जे. चोक्काराव-देवादुला लिफ्ट सिंचाई परियोजना	तेलंगाना			i. प्राप्त ii. प्राप्त
	देवदुला के अंतर्गत ईएंडएम कार्य और अन्य कार्य पहले ही निष्पादित किए जा चुके हैं				
आरईसी लिमिटेड	लिंक 2 के अंतर्गत श्रीपद यल्लमपल्ली परियोजना (एसवाईपी) से मिड मन्नायर जलाशय को मौजूदा प्रणाली की लिफ्टिंग क्षमता के 1.1 टीएमसी (हजार मिलियन घन फीट) विस्तार के लिए ईएंडएम, एचएंडएम तथा संबद्ध सिविल कार्य	तेलंगाना	कालेश्वरम सिंचाई परियोजना निगम लिमिटेड (केआईपीसीएल)		i. प्राप्त तथापि, अतिरिक्त 1 टीएमसी जल के लिफ्टिंग कार्य को जल शक्ति मंत्रालय की दिनांक 15.07.2021 की अधिसूचना अननुमोदित परियोजना सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। केआईपीसीएल ने दिनांक 15.11.2021 के पत्र द्वारा जल शक्ति मंत्रालय से अधिसूचना की अननुमोदित सूची से अतिरिक्त 1 टीएमसी को हटाने का अनुरोध किया है और राज्य सरकार इस संबंध में जल शक्ति मंत्रालय से बातचीत कर रही है। ii. प्राप्त
आरईसी लिमिटेड	लिंक 2 के अंतर्गत उप-केन्द्रों और पारेषण लाइनों का निर्माण	तेलंगाना			
आरईसी लिमिटेड	लिंक 1 के अंतर्गत गोदावरी नदी पर मेडिगड्डा बैराज से श्रीपद यल्लमपल्ली परियोजना (एसवाईपी) में जलाशय को प्रतिदिन अतिरिक्त 1 टीएमसी जल की लिफ्टिंग के लिए ईएंडएम, एचएंडएम तथा संबद्ध सिविल कार्य	तेलंगाना			
आरईसी लिमिटेड	लिंक 4 के अंतर्गत मिड मनायर जलाशय से श्रीकुमारावेल्ली मल्लाना सागर जलाशय को प्रतिदिन अतिरिक्त 1 टीएमसी जल की लिफ्टिंग के लिए ईएंडएम, एचएंडएम तथा संबद्ध सिविल कार्य	तेलंगाना			
आरईसी लिमिटेड	लिंक 4 के अंतर्गत उप-केन्द्रों और पारेषण लाइनों का निर्माण	तेलंगाना			
आरईसी लिमिटेड	राघवपुर, डिंडोरी	मध्य प्रदेश	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (एनबीपीसीएल)	i. सीडब्ल्यूसी स्वीकृति ii. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्वीकृति	i. उधारकर्ता ने सूचित किया था कि परियोजना के लिए अपेक्षित स्वीकृतियां अभी प्राप्त की जानी हैं। ii. उधारकर्ता ने सूचित किया था कि परियोजना के लिए अपेक्षित स्वीकृतियां अभी प्राप्त की जानी हैं।
आरईसी लिमिटेड	बसानिया, मंडला	मध्य प्रदेश			
आरईसी लिमिटेड	चिंकी बोरास बैराज, होशंगाबाद	मध्य प्रदेश			
आरईसी लिमिटेड	शक्करपेंच लिंक, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश			
आरईसी लिमिटेड	दुधी छिंदवाड़ा, होशंगाबाद	मध्य प्रदेश			
आरईसी लिमिटेड	होशंगाबाद बैराज, सिहोर	मध्य प्रदेश			
आरईसी लिमिटेड	हंडिया बैराज, देवास	मध्य प्रदेश			
आरईसी लिमिटेड	मोरंडगंजल, हरदा, खण्डवा, होशंगाबाद	मध्य प्रदेश			
आरईसी लिमिटेड	कोझीकोड जिले में कुट्टियाडी गुलिकापुझा पर पेरिनचेरी कडावु	केरल	केरल अवसंरचना निवेश निधि बोर्ड	i. सीडब्ल्यूसी स्वीकृति	i. उधारकर्ता ने सूचित किया है कि इन परियोजनाओं के

	के अप स्ट्रीम रेगुलेटर सह पुल का निर्माण		(केआईआईएफबी) [*परियोजनाएं केरल सिंचाई अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (केआईआईडीसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं]	ii. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्वीकृति	कार्यान्वयन के लिए किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। ii. उधारकर्ता ने सूचित किया है कि इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
आरईसी लिमिटेड	मूर्ककनाड्ड पंचायत, मल्लपपुरम जिले में केझमुरीकडावु, मुथिकयाम में थुथापुजा पर आरसीबी का निर्माण	केरल			
आरईसी लिमिटेड	पिनाराईपंचायत में पराराम में अंजारकांडी नदी पर लॉक सहित रेगुलेटर का निर्माण	केरल			
आरईसी लिमिटेड	पुदुक्कड़ पंचायत में कनाथोड्ड आरसीबी का निर्माण	केरल			
आरईसी लिमिटेड	छप्परपदावु पंचायत, थलीपरमाबा तालुक, कन्नूर जिले में कूवेरी, कट्टमपल्ली में कुप्पम नदी पर आरसीबी का निर्माण,	केरल			
आरईसी लिमिटेड	एर्नाकुलम जिले के उदयमपेरूर पंचायत में पुथेनकावु में कोनोथुपुझा नदी पर लॉक सहित रेगुलेटर का निर्माण	केरल			
आरईसी लिमिटेड	पूलक्कडवु में केडब्ल्यूए पंपिंग हाउस के पास पूनूर पुझा पर आरसीबी का निर्माण	केरल			
आरईसी लिमिटेड	पेरूवेम्बु ग्राम पंचायत में वडकरपल्ली पलाथुल्ली में चितूरपुझा पर आरसीबी का निर्माण	केरल			
आरईसी लिमिटेड	मलप्पुरम में मंजेरी नगर पालिका में पुझंकवु में कदलुंडी नदी पर रेगुलेटर सह पुल का निर्माण	केरल			
आरईसी लिमिटेड	केरल के विभिन्न जिलों में 16 जलापूर्ति/जल पम्पिंग स्टेशन परियोजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल, पंपिंग स्टेशन और हाइड्रो प्रणाली कार्य	केरल	केरल अवसंरचना निवेश निधि बोर्ड (केआईआईएफबी) [*परियोजनाएं केरल जल प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं]		i. केआईआईएफबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार किसी सीडब्ल्यूसी अनुमोदन का आवश्यकता नहीं है। ii. केआईआईएफबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आवश्यक नहीं है।

* जल शक्ति मंत्रालय की दिनांक 15 जुलाई, 2021 की अधिसूचना के अनुसार सभी आवश्यक स्वीकृतियां एवं अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पीआरएलआईएस परियोजना को 15 जनवरी, 2022 तक की समय-सीमा प्रदान की गई थी। दी गई समय-सीमा के बाद ऋण के लिए कोई संवितरण नहीं किया गया है।

** रायलसीमा सूखा शमन स्कीम के लिए ऋण दस्तावेज तैयार किए जाने अभी शेष हैं। इस प्रकार, पीएफसी द्वारा स्वीकृत ऋण के निमित्त कोई संवितरण नहीं किया गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1599

जिसका उत्तर 15 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली

1599. डॉ. अमर पटनायक:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 1000 मेगावाट हर्ट्ज बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के अधिष्ठापन संबंधी परियोजना की प्रगति की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में बीईएसएस की अदोहित क्षमता का अनुमान लगाने और इसके लक्षित बाजार हेतु कोई अध्ययन करवाया है;

(ग) क्या सरकार के पास देश में बीईएसएस के प्रापण और उपयोग हेतु कोई विस्तृत दिशा-निर्देश है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सरकारी स्वामित्व वाली एक कंपनी, सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई), ने 1000 मेगावाट हर्ट्ज बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) की स्थापना हेतु दिनांक 14 अक्तूबर, 2021 को रुचि की अभिव्यक्ति जारी की है।

(ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)/विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने वर्ष 2029-30 के लिए इष्टतम विद्युत उत्पादन क्षमता मिश्र पर एक रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट अपेक्षित भंडारण क्षमता प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक रूप से नियोजित समाधानों के रूप में पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज सिस्टम (पीएसपी) एवं बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) अभिनिर्धारित करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार, 27,000 मेगावाट/108,000 मेगावाट हर्ट्ज (4-घंटे भंडारण) की बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता को वर्ष 2029-30 में संस्थापित क्षमता के भाग के रूप में प्रक्षेपित किया गया है।

(ग) और (घ) : बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की खरीद एवं उपयोग हेतु मानक बोली दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1600

जिसका उत्तर 15 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

देश में बिजली संकट

1600. डॉ. हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में विद्युत संकट लगातार गहराता जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने देश में इस स्थिति में सुधार लाने हेतु राज्यों के सहयोग से कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : देश में विद्युत का कोई संकट नहीं है। दिनांक 28 फरवरी, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 395.6 गीगावाट है जो देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। वर्तमान वर्ष के दौरान विद्युत की व्यस्ततम मांग केवल 203 गीगावाट हुई थी।

(ख) से (घ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। केन्द्र सरकार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयूज) के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना और उनसे विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत के आबंटन द्वारा राज्य सरकार के प्रयासों का अनुपूरण करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के उत्पादन, अंतर-राज्यीय उत्पादक स्टेशनों से हिस्से, जिसमें द्विपक्षीय आधार पर और विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से विद्युत क्रय करने वाले केन्द्रीय क्षेत्र के उत्पादक स्टेशन शामिल हैं, जैसे विभिन्न स्रोतों से अपनी संबंधित ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करते हैं।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार सभी घरों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) सहित अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण भी करती है।

****